निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1343) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

अधिसूचना संख्या– 10/2026–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 234, दिनांक 30 अक्तूबर 2026— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करते है, अर्थात्:-

(i) किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख-रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख-रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्क्रो खाते से प्रभारित या डेबिट की गई राशि पर, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. *स्पष्टीकरण* :- इस अधिसूचना के प्रयोजन से, -

(i) "रियायत समझौता" का अर्थ टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल (पथकर) की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का

संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) "रियायत प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेता है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०– बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 10)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 234, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 10)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

Notification No 10/2026- State Tax (Rate)

S.O. 234, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following class of registered person, namely: -

(i) Concessionaire under a concession agreement, who supplies operation and maintenance services to the concessioning authority during the concession period,

as the registered persons, who shall pay State tax on the supply of such operation and maintenance services on the amount charged or debited from the Escrow Account, maintained in accordance with the concession agreement, towards operation and maintenance expenses incurred by such registered persons, in a tax period in which such expenditure is so charged or debited.

2. *Explanation*:- For the purpose of this notification,-

(i) "Concession Agreement" means an agreement entered into between a concessionaire and the concessioning authority under the Toll-Operate-Transfer model, whereby the concessionaire is granted the exclusive rights to demand, collect and appropriate toll in respect of a road or highway and is required to operate and maintain such road

or highway during the concession period where the concessionaire is required to pay the concession fee upfront;

(ii) "Concessioning authority" means the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity which enters into the Concession Agreement.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[(FileNo Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-22) 10)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1343-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in